भारत में अपराध – 2023

झलकियां (राज्य/संघ शासित प्रदेश)

क) समग्र अपराध

वर्ष 2023 में 62,41,569 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए जिनमें 37,63,102 अपराध भारतीय दंड संहिता के एवं 24,78,467 स्थानीय एवं विशेष कानून के अपराध थे। यह 2022 में दर्ज मामलों (58,24,946) की तुलना में (4,16,623 मामले) 7.2% की वृद्धि दर्शाते हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराध दर 2022 में 422.2 की तुलना में 2023 में बढ़कर 448.3 हो गई। 2022 की तुलना में 2023 के दौरान आईपीसी एवं एसएलएल के तहत दर्ज अपराधों में क्रमश: 5.7% और 9.5% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2023 के दौरान कुल संज्ञेय अपराधों में आईपीसी के मामलों की प्रतिशत भागिता 60.3% थी जबकि एसएलएल के मामलों की प्रतिशत भागिता 39.7% थी। [**तालिका-1.1**]

सार्वजनिक रास्तों पर अवरोध (धारा 283 भा°द°सं) तथा चोरी के तहत दर्ज मामलों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। जहाँ वर्ष 2022 में सार्वजनिक रास्तों पर अवरोध (धारा 283 भा°द°सं) के कुल 93,548 मामले प्रकाश में आए थे वहीं यह वर्ष 2023 में बढ़कर 1,51,469 हो गए। इसी प्रकार जहाँ वर्ष 2022 में चोरी के कुल 6,52,731 मामले दर्ज हुए वहीं यह वर्ष 2023 में बढ़कर 6,89,580 हो गए । [**तालिका-1ए.**4] । इसी प्रकार एसएलएल श्रेणी के तहत, मुख्य रूप से मोटर वाहन अधिनियम के तहत वृद्धि दर्ज की गई जहाँ वर्ष 202**2** में 94,450 मामलों के मुकाबले वर्ष 2023 में 1,91,828 मामले दर्ज किए गए। परिणामतः एसएलएल श्रेणी के तहत वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 202**3** के दौरान 97,378 मामलों की वृद्धि हुई। [**तालिका-1ए.5**]

वर्ष 202**3** के दौरान आईपीसी के तहत दर्ज कुल 53,61,518 मामले (पिछले वर्ष से लंबित 15,84,912 मामले + वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए 37,63,102 मामले + जाँच के लिए फिर से खोले गए 13,504 मामले) जाँच के अधीन थे। इनमें से पुलिस द्वारा कुल 37,85,839 मामलों का निपटान किया गया, जिसमें शामिल 27,53,235 मामलों में आरोप-पत्र दायर किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप आरोप-पत्र दायर किए जाने की दर 72.7% रही।

ख) मानव शरीर को आहत करने वाले अपराध[1] – सारांश

मानव शरीर को आहत करने वाले अपराधों के कुल 11,85,915 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2023 के दौरान आईपीसी के तहत दर्ज अपराधों का 31.5% थे, जिनमें से सामान्य उपहति के मामले (कुल 6,36,767) अधिकतम (53.7%) थे, इसके बाद लापरवाही से मौत (1,65,971 मामले, 14.0%) और व्यपहरण व अपहरण के मामले (1,13,564 मामले, 9**.6%)** दर्ज किए गए। [**तालिका-1ए.**4]

नोट: आईपीसी के अध्याय XVI **में "मानव शरीर को आहत करने वाले" अपराधों से संबंधित प्रावधान वर्णित है।**

वर्ष 2023 में मानव शरीर को आहत करने वाले अपराधों के तहत दर्ज मामलों में वर्ष 2022 (11,58,815 मामले) की तुलना में वर्ष 2023 में 2.3% की वृद्धि हुई और अपराध दर वर्ष 2022 में 84.0 से बढ़कर वर्ष 2023 में 85.2 हो गई है। **[तालिका-1ए**.4]

ग) हत्या

वर्ष 202**3** के दौरान हत्या के कुल 27,721 मामले दर्ज किए गए, जिनमें वर्ष 202**2** (28,522 मामलों) की तुलना में 2.8% की मामूली कमी देखी गई। **[तालिका -2ए.1]**

वर्ष 202**3** के दौरान हत्या के सर्वाधिक मामलों में 'विवाद' (9,209 मामले) मूल कारण था, इसके बाद 'आपसी रंजिश या दुश्मनी' (3,458 मामले) और 'लाभ प्राप्ति' (1,890 मामले) अन्य कारण थे। **[तालिका-2ए.2]**

घ) अपहरण एवं व्यपहरण

वर्ष 202**3** के दौरान अपहरण और व्यपहरण के कुल 1,13,564 मामले दर्ज किए गए, जिनमें वर्ष 202**2** (1,07,588 मामले) की तुलना में 5.6% की वृद्धि देखी गई। **[तालिका-2सी.1]**

वर्ष 202**3** के दौरान कुल 1,16,404 (24,285 पुरुष, 92,114 महिला और 5 उभयलिंगी) पीड़ितों के अपहरण या व्यपहरण की सूचना मिली, जिनमें से 82,106 (16,033 पुरुष और 66,072 महिलाएं और 1 उभयलिंगी)[2] पीड़ित बच्चे थे और 34,298 (8,252 पुरुष, 26,042 महिला और 4 उभयलिंगी) पीड़ित वयस्क थे। **[तालिका-2सी.2]**

वर्ष 202**3** के दौरान, कुल 1,40,813 अपहृत या व्यपहृत व्यक्तियों (31,837 पुरुष, 1,08,971 महिलाएं और 5 उभयलिंगी) को ढूँढ लिया गया, जिनमें से 1,39,164 व्यक्ति जीवित बचा लिये गए और 1,649 व्यक्ति मृत पाए गए। **[तालिका-2सी.4]**

च) जन-शांति भंग करने के अपराध

वर्ष 202**3** के दौरान भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जन-शांति भंग करने के अपराधों के कुल 58,247 मामले दर्ज हुए, ऐसे कुल मामलों में से दंगे (39,260 मामले) के मामलों का प्रतिशत 67.4% था। जन-शांति भंग करने के अपराधों के मामलों में वर्ष 202**2** (57,082 मामले) की तुलना में वर्ष 2023 में 2.0% की वृद्धि दर्ज की गई। **[तालिका-1ए.4]**

छ) महिलाओं के प्रति अपराध

वर्ष 202**3** में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 4,48,211 मामले दर्ज हुए जो कि वर्ष 2022 (4,45,256) की तुलना में 0.7% की वृद्धि को दर्शाते हैं। **[तालिका - 3ए.1]**

आईपीसी के तहत महिलाओं के प्रति अपराध के अधिकांश दर्ज मामले 'पति या उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता' (1,33,676 मामले, 29.8%) के पाए गए, इसके बाद 'महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण' (88,605 मामले, 19.8%), 'शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर

हमला' होने के मामले (83,891 मामले, 18.71%) एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) (66,232 मामले, 14.8%), के मामले दर्ज किए गए। प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर वर्ष 2022 में 66.4 की तुलना में वर्ष 2023 में 66.2 दर्ज की गई। [**तालिका – 3ए.2**]

ज) बच्चों के प्रति अपराध

वर्ष 2023 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध के कुल 1,77,335 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2022 (1,62,449 मामले) की तुलना में 9.2% की वृद्धि दर्शाते हैं। [**तालिका – 4ए.1**]

वर्ष 2023 के दौरान प्रतिशतता के संदर्भ में 'बच्चों के प्रति अपराध' के तहत दर्ज अधिकांश मामलों में प्रमुखता, 'बच्चों का अपहरण और व्यपहरण' (79,884 मामले, 45%) व 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम'(POCSO), के तहत दर्ज अपराध (67,694 मामले, **39.3%)** की रही। प्रति लाख बच्चों की जनसंख्या पर दर्ज अपराध दर, वर्ष **2022** के 36.6 की तुलना में वर्ष 2023 में 39.9 रही। [**तालिका – 4ए.3**]

झ) कानूनी मामलों में फंसे किशोर

वर्ष 2023 के दौरान किशोरों के प्रति कुल 31,365 मामले दर्ज किए गए जो कि वर्ष **2022** (30,555 मामलों) की तुलना में 2.7% अधिक रहे। अपराध दर वर्ष **2022** में 6.9 से बढ़कर वर्ष 2023 में 7.1 हो गई है। [**तालिका – 5ए.1**]

वर्ष **2023** में कुल 31,365 मामलों में 40,036 किशोर पकड़े गए, जिनमें 34,674 किशोर आईपीसी मामलों में और 5,362 किशोर एसएलएल अपराधों के तहत बंदी बनाए गए। [**तालिका – 5ए.4**]

वर्ष 2023 में कानूनी मामलों में फंसे अधिकांश किशोर (40,036 में से 31,610) (79.0%) जो कि आईपीसी और एसएलएल अपराध के तहत पकड़े गए, 16 से 18 आयु वर्ग के थे। [**– तालिका] 5ए.4**]

त) वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध

वर्ष 2023 के दौरान कुल 27,886 वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) के प्रति किए गए अपराध के मामले दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2022 (28,545) में दर्ज मामले की तुलना में 2.3% की कमी को दर्शाता है। [**तालिका – 6ए.1**]

वर्ष 2023 के दौरान अपराध शीर्षवार मामलों से पता चलता है कि वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध के सबसे अधिक मामले साधारण उपहति के (7,608, 27.3%) दर्ज हुए, इसके बाद चोरी के मामले (4,130, 14.8%) एवं `एफसीएफ– जालसाजी, ठगी और धोखाधड़ी' के मामले (3,473, 12.5%) दर्ज किए गए। [**तालिका – 6ए.2**]

थ) अनु. जातियों के प्रति अपराध/अत्याचार

वर्ष 2023 में अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध के कुल 57,789 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2022 (57,582 मामले) की तुलना में 0.4% की वृद्धि को दर्शाता है। दर्ज अपराध दर वर्ष 2022 में 28.6 से बढ़कर वर्ष 2023 में 28.7 हो गई **[तालिका – 7ए.1]**

वर्ष 2023 के दौरान अपराध शीर्षवार मामलों से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध/अत्याचार के सर्वाधिक मामले साधारण उपहति (18,437, 31.9%) के तहत दर्ज हुए, जिसके बाद आपराधिक धमकी (संत्रास) के 7.8% (4,486 मामले) मामले और अनु. जाति/अनु.ज.जा. (अत्याचार निषेध) अधिनियम के तहत 7.5% (4,345 मामले) दर्ज हुए। **[तालिका – 7ए.3]**

द) अनुसूचित जन-जातियों के प्रति अपराध/अत्याचार

वर्ष 2023 में अनुसूचित जन-जातियों के प्रति अपराध के कुल 12,960 मामले दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2022 (10,064 मामले) की तुलना में 28.8% की वृद्धि को दर्शाता है। दर्ज की गई अपराध दर वर्ष 2022 में 9.6 से बढ़कर, 2023 में 12.4 हो गई **[तालिका – 7सी.1]**

वर्ष 2023 के दौरान शीर्षवार अपराध के मामलों से पता चलता है कि सबसे अधिक मामले साधारण उपहति (2,757 मामले, 21.3%) के हैं, उसके बाद दंगे 13.2% (1,707 मामले) और बलात्संग 9.2% (1,189 मामले) के हैं। **[तालिका – 7सी.3]**

ध) आर्थिक अपराध

आर्थिक अपराध के तहत कुल 2,04,973 मामले दर्ज हुए, जो कि वर्ष 2022 (1,93,385 मामले) की तुलना में 6.0% की वृद्धि को दर्शाते हैं। आर्थिक अपराध की तीन विनिर्दिष्ट श्रेणियों यानि कि आपराधिक विश्वासघात, 'जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी' एवं कूटकरण में से वर्ष 2023 के दौरान सबसे अधिक मामले एफसीएफ के (1,81,553 मामले) दर्ज हुए। इसके बाद दर्ज हुए मामलों में आपराधिक विश्वासघात (22,759 मामले) और कूटकरण (661 मामले) का स्थान आता है। [**तालिका – 8ए.2]**

न) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2022 में दर्ज 4,139 मामलों की तुलना में वर्ष 2023 में कुल 4,069 मामले दर्ज किए जो कि 1.7% की कमी को दर्शाते हैं। 4,069 मामलों में से अधिकांश 70.1% मामले जाल में फंसाने (2,875) के हैं, उसके बाद 13.9% मामले आपराधिक कदाचार (560 मामले) के पाए गए। कुल 4,759 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 976 व्यक्तियों को सज़ा दी गई तथा 638 व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई। **[तालिका – 8सी]**

प) साइबर अपराध

साइबर अपराध के तहत कुल 86,420 मामले दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2022 (65,893 मामले) की तुलना में 31.2% अधिक थे। इस श्रेणी के तहत अपराध दर वर्ष 2022 में 4.8 से बढ़कर वर्ष 2023 में 6.2 हो गई। वर्ष 2023 के दौरान दर्ज हुए 68.9% साइबर अपराध, धोखाधड़ी के उद्देश्य से किए गए (86,420 में से 59,526 मामले), उसके बाद यौन उत्पीड़न के 4.9% (4,199 मामले) और जबरन वसूली के 3.8% (3,326 मामले) हैं। **[तालिका – 9ए.3]**

फ) राज्य के प्रति अपराध

वर्ष 2022 में 5,610 मामलों की तुलना में वर्ष 2023 में कुल 4,873 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 13.1%. की कमी दर्ज की गई। 4,873 मामलों में से, 81.9% मामले 'सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम' (3,989 मामले) के, उसके बाद 'गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम' के तहत 750 (15.4%) मामले दर्ज किए गए। **[तालिका – 10ए.2]**

ब) पर्यावरण संबंधी अपराध

वर्ष 2022 के दौरान 52,920 मामलों की तुलना में वर्ष 2023 में पर्यावरण संबंधी अपराधों के तहत कुल 68,994 मामले दर्ज किए गए, जो 30.4% की वृद्धि दर्शाते है। अपराध के शीर्ष-वार मामलों से यह पता चलता है कि सर्वाधिक मामले सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत 85.9% (59,279 मामले), इसके बाद ध्वनि प्रदूषण अधिनियम (राज्य/केंद्र) के तहत 9.6% (6,640 मामले) मामले दर्ज हुए । **[तालिका – 11.2]**

भ) विदेशियों के प्रति अपराध एवं विदेशियों द्वारा कारित अपराध

वर्ष 2022 में दर्ज 192 मामलों की तुलना में विदेशियों (पर्यटक और निवासी) के प्रति अपराध के कुल 238 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 24.0% की वृद्धि दर्ज की गई। अधिकांश मामले चोरी (46) और ब्लात्संग (27) के तहत दर्ज किए गए। 238 दर्ज मामलों से संबंधित 266 पीड़ितों में से 53.8% पीड़ित (143) एशियाई महाद्वीप के और 20.7% पीड़ित (55) यूरोपीय देशों के थे। **[तालिका – 13ए.1-6]**

वर्ष 2022 में विदेशियों के विरुद्ध दर्ज 2,100 मामलों की तुलना में वर्ष 2023 में कुल 2,546 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 21.2% की वृद्धि देखी गई। अपराध शीर्षवार मामलों से पता चलता है कि विदेशी अधिनियम और विदेशी पंजीकरण अधिनियम (1,234 मामले) के तहत 48.5% मामले दर्ज किए, इसके बाद 'पासपोर्ट अधिनियम', (451 मामले) के तहत 17.7% मामले दर्ज हुए। **[तालिका – 13 बी.1-6]**

म) मानव तस्करी

वर्ष 2022 के 2,250 मामलों की तुलना में वर्ष 2023 में मानव तस्करी के कुल 2,183 मामले दर्ज किए गए, जिसमें गत वर्ष की अपेक्षा 3.0% की कमी दर्ज हुई। कुल 6,288 पीड़ितों की तस्करी के मामले दर्ज हुए जिनमें 2,687 बच्चे एवं 3,601 वयस्कों की तस्करी हुई। उल्लेखनीय है कि

6,043 पीड़ितों को तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया गया और 6,024 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। **[तालिका – 14.1-7]**

य 1) गुमशुदा व्यक्ति

वर्ष 202**3** में कुल 4,84,584 व्यक्तियों (1,59,811 पुरुष, 3,24,763 महिला एवं 10 उभयलिंगी) की गुमशुदगी दर्ज हुई। वर्ष 202**2** के दौरान लापता हुए 4,42,572 व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 202**3** में गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या में 9.5% की वृद्धि हुई है। **[तालिका – 15.2]**

वर्ष 202**3** के दौरान, कुल 4,60,886 व्यक्ति (1,55,283 पुरुष, 3,05,585 महिलाएं एवं 18 उभयलिंगी) मिले/ढूँढे गए। **[तालिका-15.2]**

2) गुमशुदा बच्चे[2]

वर्ष 202**3** में 91,296 बच्चों की (22,460 पुरुष, 68,835 महिलाएं एवं 1 उभयलिंगी) गुमशुदगी दर्ज हुई। वर्ष 202**2** के दौरान गुमशुदा हुए 83,350 बच्चों की तुलना में, वर्ष 2023 में गुमशुदा हुए बच्चों की संख्या में 9.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। **[तालिका – 15.1]**

वर्ष 202**3** के दौरान, कुल 89,809 बच्चे (22,838 बालक, 66,965 बालिकाएं एवं 6 उभयलिंगी) मिल पाए/ढूँढे गए। **[तालिका – 15.1]**

र) संपत्ति से जुड़े अपराध

वर्ष **2022** में संपत्ति से जुड़े अपराधों के तहत दर्ज 8,39,252 मामलों की तुलना में वर्ष 2023 के दौरान दर्ज 8,78,307 मामलों में 4.7% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 के दौरान अधिकतम चोरी (6,89,580 मामले) के मामले दर्ज हुए, उसके बाद सेंधमारी के 1,07,573 मामले दर्ज हुए, जो कि कुल मामलों के क्रमशः 78.5% और **12.2%** हैं। **[तालिका** – 1**ए**.4]

वर्ष 2023 के दौरान 6,917.2 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति चोरी हो गई एवं 2,065 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति की वसूली की गई जो कि चोरी हुई संपत्ति का 29.9% है। **[तालिका** – 20**ए**.1]

वर्ष 2023 के दौरान संपत्ति से जुड़े 3,01,082 मामले आवासीय परिसरों में घटित हुए। हालांकि, 15,193 मामलों के साथ अधिकांश लूट की घटनायें सड़क मार्गों (राजमार्ग व सड़क शामिल है) पर घटित हुई। **[तालिका – 20ए**.2]

नोट 2: रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 75/2012 – बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 10.05.2013 को जारी निर्देश – किसी भी लापता बच्चे के संबंध में; किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत के मामले को अपहरण या तस्करी की प्रारंभिक धारणा मानते हुए उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज की जानी चाहिए ।

ल) दस्तावेज़ एवं संपत्ति चिह्न से संबंधित अपराध

वर्ष 202**2** में 1,71,571 मामलों की तुलना में, वर्ष 202**3** में दस्तावेज एवं सम्पत्ति चिह्न से संबंधित अपराध के 1,82,214 मामले दर्ज हुए , जिनमें कूटकरण और 'जालसाजी, ठगी और धोखाधड़ी' जैसे अपराध शामिल हैं। इनमें से 99.6% (1,81,553 मामले) एफसीएफ से संबंधित थे। **[तालिका – 1ए.4]**

व) शस्त्र अधिनियम के तहत जब्ती

वर्ष 202**2** के दौरान शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज कुल 80,118 मामलों की तुलना में, वर्ष 202**3** में 73,388 मामले दर्ज हुए, जिसमें 82,756 शस्त्र जब्त किए गए इनमें से 2,153 शस्त्र लाइसेंसी या कारखाने में बने थे और 80,603 शस्त्र गैर लाइसेंसी/कामचलाऊ/अनगढ़/देसी थे। वर्ष 202**3** के दौरान कुल 1,09,254 गोला-बारूद भी जब्त किए गए। **[तालिका – 20बी.1]**

स) विस्फोटक पदार्थों की जब्ती

वर्ष 202**2** में जब्त 88,987 कि.ग्रा. विस्फोटक की तुलना में वर्ष 202**3** में कुल 10,09,627 कि.ग्रा. विस्फोटक (आरडीएक्स, टीएनटी, प्लास्टिक विस्फोटक, गन पाउडर, पटाखे, आतिशबाज़ी आदि) जब्त किए गए। इसमें चरमपंथियों/विद्रोहियों/आतंकवादियों से जब्ती (1,303 कि.ग्रा.) एवं तस्करों सहित अन्य अपराधियों से जब्त किए गए (10,08,324 कि.ग्रा.) विस्फोटक शामिल हैं।

वर्ष 202**2** में 2,79,986 की तुलना में वर्ष 202**3** में कुल 4,49,768 विस्फोटक उपकरण (डेटोनेटर, जिलेटिन स्टिक, ग्रेनेड, लैंडमाइन और आईईडी आदि) भी जब्त किए गए। **[तालिका – 20बी.4]**

श) भारतीय जाली मुद्रा (FICN) की जब्ती

वर्ष 202**3** के दौरान 3,51,656 की संख्या में ₹ 16,86,23,100 मूल्य की नकली भारतीय मुद्रा जब्त की गई। **[तालिका – 20बी.2**(ii)**]**

ष) आईपीसी के तहत दर्ज मामलों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान

क्रम.सं.	आईपीसी के अंतर्गत होने वाले अपराध	जांच के लिए कुल मामले	आरोप-पत्र दायर होने की संख्या	आरोप-पत्र दायर होने की दर	विचारणाधीन कुल मामले	दोषसिद्ध कुल मामले	दोषसिद्धि दर
1.	**हत्या**	45,544	24,575	85.7	2,72,198	7,181	37.7
2.	**बलात्संग**	40,393	24,582	80.3	2,03,067	4,464	22.7
3.	**अपहरण एवं व्यपहरण**	1,80,591	42,635	37.0	3,51,090	3,541	20.2
4.	**उपहति (तेजाब के हमले सहित)**	8,65,112	5,85,413	90.7	39,43,129	90,900	36.2
5.	**दंगे**	66,876	32,876	89.2	5,70,044	4,591	17.4

नोट: आरोप पत्र दायर होने की दर = आरोप पत्र दायर किए गए मामलें / पुलिस द्वारा निपटाए गए मामलें * 100

दोष सिद्धि दर = दोष सिद्ध मामलें / मामलें जिनमें विचारण पूरा कर लिया गया * 100

ह) एसएलएल मामलों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान

क्रम.सं.	एसएलएल के अंतर्गत होने वाले अपराध	जांच के लिए कुल मामले	आरोप-पत्र दायर होने की संख्या	आरोप-पत्र दायर होने की दर	विचारणाधीन कुल मामले	दोषसिद्ध कुल मामले	दोषसिद्धि दर
1.	**आबकारी अधिनियम**	4,00,658	3,56,881	97.3	14,22,143	2,49,982	83.2
2.	**स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम**, 1985	1,71,030	1,13,868	98.1	4,74,167	50,982	83.7
3.	**शस्त्र अधिनियम**	88,860	71,288	98.8	5,81,935	27,615	65.9

नोट: आरोप पत्र दायर होने की दर = आरोप पत्र दायर किए गए मामलें / पुलिस द्वारा निपटाए गए मामलें * 100

दोष सिद्धि दर = दोष सिद्ध मामलें / मामलें जिनमें विचारण पूरा कर लिया गया * 100

कक) गिरफ्तारियां, दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति

आईपीसी एवं एसएलएल मामलों को मिलाकर कुल 51,28,163 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो इस प्रकार हैं :

i. आईपीसी अपराध के 37,63,102 मामलों के तहत कुल 30,02,969 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 47,66,289 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए गए, 11,37,639 व्यक्ति दोषसिद्ध हुए, 11,84,027 व्यक्ति दोषमुक्त हुए तथा 98,372 व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया। **[तालिका – 19ए.6]**

ii. एसएलएल अपराध के 24,78,467 मामलों के तहत कुल 21,25,139 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 28,17,073 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए, 16,98,457 व्यक्ति दोषसिद्ध हुए, 4,60,268 व्यक्ति दोषमुक्त हुए तथा 32,220 व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया। **[तालिका – 19ए.8]**

केरल (95.6%), पुदुचेरी (92.5%) और आंध्र प्रदेश (91.6%) आईपीसी अपराधों के तहत उच्चतम चार्ज-शीटिंग दर रिपोर्ट करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं।